प्रेस नोट संख्या 43

दिनांक 22.05.2024

सराहनीय कार्य अमेठी पुलिस

"नशा मुक्त अमेठी अभियान" के अन्तर्गत थाना शिवरतनगंज पुलिस द्वारा 183 ग्राम चरस के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों के धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व **"नशामुक्त अमेठी अभियान"** के तहत दिनांक 21.05.2024 को उ0नि0 देवी दयाल वर्मा थाना शिवरतनगंज मय हमराही द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु, वाहन के दौरान मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त राजा सिंह उर्फ लखन सिंह पुत्र विरेन्द्र सिंह निवासी पेडरिया थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी उम्र करीब 22 वर्ष को ग्राम पेडरिया के पास से समय करीब 08:35 बजे रात में गिरफ्तार किया गया। तलाशी करने पर अभियुक्त के कब्जे से 183 ग्राम चरस बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के संबन्ध में थाना शिवरतनगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

- राजा सिंह उर्फ लखन सिंह पुत्र विरेन्द्र सिंह निवासी पेडरिया थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी उम्र करीब 22 वर्ष।

बरामदगी-

- 183 ग्राम चरस।

पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

- मु0अ0सं0 81/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 देवी दयाल वर्मा थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी।
2. हे0का0 लल्लन प्रसाद थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 46/23 धारा 411 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी
2. मु0अ0सं0 88/22 धारा 506,504,323 थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी।